

RELEVANCE OF GANDHIJI'S IDEAS IN WOMEN'S UPLIFTMENT

नारी उत्थान में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता

Dr. Abhilasha Abusaria

Assistant Professor, Department of Political Science, Government Girls College, Jhunjhunu

ABSTRACT

Mahatma Gandhi was a champion of women's rights. He knew the plight of women in India. Therefore, he made many efforts so that women could be developed and women could also get a high position in society. There were no differences between the son and the daughter. In their eyes, women are superior to men. According to Gandhiji, men and women are complementary to each other, so it does not seem right to make any distinction between them. God has made man equal, but by social rules, man is given high status and women are given low status, due to which women have to face many problems in society. He was always in favor of women's empowerment. Therefore, he did many such works so that women could be promoted and get a higher position in society.

महात्मा गांधी नारी विकास के पक्षधर थे। वे भारत में नारी की दयनीय स्थिति के बारे में जानते थे। इसलिए उन्होंने बहुत से प्रयास किये जिससे नारी का विकास किया जा सके और नारी को भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो सके। वे पुत्र और पुत्री में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में चारित्रिक रूप से स्त्री पुरुष से अधिक श्रेष्ठ होती है। गांधी जी के अनुसार स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का अंतर करना सही प्रतीत नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य को समान बनाया है परंतु सामाजिक नियमों द्वारा पुरुष को उच्च और महिला को निम्न दर्जा दिया गया जिसकी वजह से नारी को समाज में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे हमेशा नारी के विकास के पक्षधर रहे थे। इसलिए उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किये जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो सके।

Keywords: अधिष्ठात्री, सुराज, देवदासी, स्वदेशी, क्रीतदासी।

गांधीजी तत्कालीन समाज में नारी की दीन—हीन दशा से भली—भाँति परिचित थे। वे शोषित और अपमानित मानवता के मसीहा थे। इसलिए उन्होंने नारी की दीन—हीन स्थिति को सुधारने का व्रत लिया। उनके अनुसार स्त्री—पुरुष में भेद करने की प्रवृत्ति सही नहीं है। महिलाओं के सामाजिक, पारिवारिक और नागरिक अधिकार तथा कर्तव्य वही है जो पुरुषों के हैं। दोनों के सामाजिक—आर्थिक अधिकार समान हैं और दोनों की नैतिक क्षमताएँ भी एक जैसी हैं।¹

गांधीजी के अनुसार स्त्री में आत्मत्याग, सहिष्णुता, नैतिक शक्ति एवं साहस, अधिक है। जब स्त्री को पुरुष के बराबर अवसर प्राप्त हो जायेगे और वह परस्पर सहयोग और सम्बन्ध की शक्तियों का पूरा विकास कर लेगी तो संसार स्त्री शक्ति का सम्पूर्ण विलक्षणता और गौरव के साथ परिचय पा सकेगा।² नैतिक शक्ति की दृष्टि से स्त्री निश्चित रूप से पुरुष की अपेक्षा श्रेष्ठ है किन्तु दुर्भाग्य से आज वह अपनी शक्ति पहचान नहीं पा रही है। गांधीजी का कहना था कि मैं स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता हूँ। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान स्वयं को स्वाधीन अनुभव करना चाहिए। वीरता केवल पुरुषों की बपौती नहीं है।³ स्त्रियों का स्वयं को पुरुषों के अधीन या उन से हीन समझने का कोई कारण नहीं है। स्त्री साक्षात् त्याग की मूर्ति है जब कोई स्त्री जी—जान से किसी काम में लग जाती है तो वह पहाड़ को भी हिला देती है।⁴ गांधीजी की दृष्टि में स्त्री पुरुष समान है, दोनों

समान बौद्धिक क्षमताओं से सम्पन्न हैं। स्त्री को मनुष्य के सभी कार्य व्यापारों में भाग लेने का अधिकार हैं तथा वह उसी स्वतंत्रता की अधिकारिणी है जो पुरुषों को प्राप्त है।⁵ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं स्त्रियों को किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गांधीजी पुत्र और पुत्री में कोई अन्तर नहीं करते थे।

गांधीजी चारित्रिक गुणों की दृष्टि से स्त्री को पुरुष से श्रेष्ठ मानते हैं। स्त्री त्याग, तपस्या, विनम्रता, आदर, श्रद्धा और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। गांधीजी नारी जाति को अहिंसा की प्रतिनिधि मानते थे क्योंकि उसमें अनन्त प्रेम, असीम धैर्य और कष्ट सहने की अनन्त शक्ति है। पीड़ा भोगना और दूसरों को कम से कम कष्ट पहुंचाना उसके स्वभाव में है इसलिए अहिंसा उसके लिए अधिक सहज है।⁶ गांधीजी के अनुसार यदि कहीं विश्व में तपन और जलन को मिटाने की सामर्थ्य है तो वह स्त्री जाति में निहित है। युद्ध के खिलाफ हो रहे अहिंसक संघर्ष में दुनिया का नारी समाज सबसे अग्रणी रह सकता है और उसे रहना भी चाहिए, यह तो नारियों का अपना विशेष कार्य और अधिकार है।⁷

गांधीजी के अनुसार स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री को भी आजादी का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है। वे चाहते थे कि पुरुष अपने आप को स्त्री का सहचर एवं मित्र समझे न कि स्वामी वास्तव में स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है न कि स्वामी और दास।⁸ नारी पुरुष की भोग्या नहीं है वह घर परिवार की

अधिष्ठात्री है। वह जिस घर की अधिष्ठात्री है उसकी दासी नहीं अपितु स्वामिनी होती है।

गांधीजी ने महिला उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने स्त्री उत्थान का बीड़ा उठाया और उन सब बाधाओं को हटाने का प्रयास किया जो महिलाओं की प्रगति में बाधक थे। गांधीजी ने अनुभव किया कि महिलाओं के पुनरुत्थान के बिना सामाजिक क्रांति, आर्थिक विकास एवं सुराज संभव नहीं है।

गांधीजी ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृति एवं देवदासी प्रथा जैसी कुप्रथाओं का घोर विरोध किया। गांधीजी जानते थे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि पुरुष ने नारी पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये हैं, उसे प्रताड़ित और अपमानित किया है और उसे अधिकारविहीन भी किया है। गांधीजी ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए नैतिक जागृति का सुझाव दिया और कहा कि इसके लिए हमारी शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र की युवा पीढ़ी में मानसिक क्रांति ला दे। उन्होंने इसी सन्दर्भ में अन्तर्जातीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवाहों के साथ साथ लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षित बनाने पर बल दिया। लड़कियों की समान शिक्षा से लड़की जीविकोपार्जन कर सकेगी और उसकी बुद्धि भी विकसित होगी जिससे वह ऐसे योग्य लड़के को वर चुनने के लिए स्वतन्त्र हो सकती जो दहेज की मांग न करता हो। वर्तमान समाज ने दहेज प्रथा ने उन्मूलन के लिए गांधीजी के विचारों से प्रभावित होकर जिस दिशा में व्यवहार करना शुरू किया है उससे दहेज की प्रथा कम हुई है। दहेज मांगने पर नैतिक, सामाजिक और कानूनी बंधन उनकी शिक्षाओं की सफल प्रतिक्रियाएँ कहीं जा सकती हैं। गांधीजी पर्दा प्रथा को भी लड़कियों के आत्मविश्वास और आत्माभिव्यक्ति के लिए अत्यन्त हानिकारक मानते थे। गांधीजी अनुसार सबसे अच्छी सुरक्षा और सबसे सुन्दर पर्दा तो लड़की की अपनी शालीनता है।⁹

गांधीजी स्त्रियों का अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे ताकि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार रुक सके। “गांधीजी स्त्री के अधिकारों के विषय में किसी से भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे।”¹⁰ उन्होंने नागरिक अधिकारों के साथ साथ स्त्रियों को आर्थिक अधिकार दिये जाने की वकालत की। उन्होंने स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार दिये जाने की मांग का समर्थन नैतिक तथा सामाजिक आधारों पर किया। गांधीजी के अनुसार पत्नी पति की क्रीतदासी नहीं है अपितु उस कि सहचरी, सहायिका तथा उसकी खुशियों

और गमों में बराबर की हिस्सेदार है। वह अपना रास्ता चुनने के लिए उतनी ही स्वतंत्र है जितना कि पति।¹¹

गांधीजी ने नारियों को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने देश के वर्तमान तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को आवश्यक समझा। उन्होंने स्त्रियों को सुगृहिणी बनने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का आग्रह किया क्योंकि बहुत से ऐसे जटिल सामाजिक कार्य हैं जिन्हें स्त्री सरलता से सम्पन्न कर सकती है। स्त्रियाँ धर्म और संस्कृति की संरक्षिका होती हैं अतः उनसे हम ऐसे समाज निर्माण की आशा कर सकते हैं जो कम बुराइयों करने वाला हो।¹² स्त्रियां ही अहिंसा का सच्चा प्रतिनिधित्व करके सम्पूर्ण विश्व को युद्ध एवं हिंसा से बचा सकती हैं। गांधीजी महिलाओं को राजनीति में भी पुरुषों के समान भागीदार बनाने के पक्ष में थे। उनके अनुसार वर्तमान राजनीति में आई गिरावट को यदि समाप्त करना हैं तो महिलाओं का राजनीति में प्रवेश आवश्यक है। वे स्त्रियों को मताधिकार एवं समानता का अधिकार देने के समर्थक थे। उनका कहना था कि जहां महिलाएँ राष्ट्र के जीवन को प्रभावित करती हैं, वहां से विकास आरम्भ होता है। गांधीजी ने नारी सुधार एवं नारी मुक्ति के आन्दोलन चलाये। पुरुषों की बराबरी के लिए महिलाओं को राजनीति और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हीं की प्रेरणा से महिलाओं ने महानिषेध, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण एवं अहिंसात्मक आन्दोलनों एवं रचनात्मक कार्यों में भाग लिया। राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं को सक्रिय करने में गांधीजी को पर्याप्त सफलता मिली। 1931 के कराची में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन के प्रस्ताव से महत्वपूर्ण नौकरियों और पदों के द्वार समान रूप से स्त्रियों के लिए खोल दिये गये।

गांधीजी के विचारों और प्रयासों की सफलता का अनुमान वर्तमान भारत को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। आज की नारी सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय है और वह अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वह अग्रणी है। पुरुषों से कधें से कधां मिलाकर आगे बढ़ रही है। स्त्री समानता के आदर्श को व्यवहार में पाकर भारतीय समाज गांधीजी के प्रति ऋणी अनुभव करता है।¹³ नारी जागृति और महिलाओं की राष्ट्रीय चेतना जागरण में गांधीजी का योगदान अविस्मरणीय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विनोबा, स्त्रीशक्ति, सर्व-सेवासंघ, वाराणसी, 1969, पृष्ठ-9
2. यंग इण्डिया, दिनांक 07.05.1930, पृष्ठ-96
3. हरिजन, दिनांक 03.01.1947, पृष्ठ-1947, पृष्ठ-478
4. नवजीवन हिन्दी, दिनांक 25.12.1921
5. गांधी, एम. के. वीमेन्स एण्ड सोश्यल इनजस्टिस, नवजीवन प्रकाशन मण्डल इलाहाबाद, 1942, पृष्ठ-4
6. हरिजन, दिनांक 05.05.1946, पृष्ठ-118

7. हरिजन, दिनांक 07.08.1940, पृष्ठ-217
8. गांधी, एम.के. स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मागांधी, जी. ए. नेटसन एण्ड क., मद्रास 1933, पृष्ठ-224-25
9. सम्पूर्ण गांधी वाडमय, खण्ड 56 पृष्ठ- 127-28
10. अमृत कौर, राजकुमारी, गांधीजी एण्ड वूमेन, विश्व भारती गांधी मेमोरियल प्रन्यास 2.10.1949, पृष्ठ-166
11. गांधी एम. के., द स्टोरी ऑफ माई एक्सप्रेरीमेट्स विद टूथ, महादेव देसाई द्वारा अनुदित, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद, 1959, पृष्ठ-18
12. विनोबा, वूमेन एज पेस मेकर (लेख) कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 1962, पृष्ठ-18
13. तिवारी, पं रामदयाल, गांधी मीमांसा, इण्डियन प्रेस, इलाहबाद, 1941, पृष्ठ-193